RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 2021; 6(4):94-100
ISSN: 2455-3085 (Online)
https://doi.org/10.31305/rrijm.2021.v06.i04.015
Research Paper
Double Blind Peer Reviewed/Refereed Journal
https://www.rrjournals.com/

आर्थिक विकास एवं महिला उद्यमिता हेतु सरकारी उपक्रम

*डॉ0वीना उपाध्याय

असि0प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग करामत हुसैन महिला पी0जी0 कालेज लखनऊ

ABSTRACT

वैश्वीकरण और उदारीकरण के आधुनिक युग में, हमारे देश में एक क्रांतिकारी पद्धति को आमंत्रित किया गया है जिसमें महिलाओं की आबादी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जीवन की लागत में लगातार वृद्धि के कारण, महिलाओं को अपने परिवारों के समर्थन के रूप में खड़े होने के लिए आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक हो गया है। उन्होंने न केवल विभिन्न नौकरी क्षेत्रों में खुद को साबित किया है, बल्कि उद्यमिता की निषिद्ध भूमि पर आक्रमण करने का साहसिक कदम भी उठाया है। महिलाएं सच्चे उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं, जोखिम उठा रही हैं, संसाधनों का प्रबंधन कर रही हैं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं और समाज में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित कर रही हैं। महिलाएं अब चूल्हा और घर तक सीमित नहीं हैं। महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमता ने कई क्षेत्रों में पहचान बनाई है और महिलाओं ने औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। लघु उद्योगों की दूसरी जनगणना के अनुसार, भारत में कुल लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 7.7 प्रतिशत है। हालांकि उनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम है, फिर भी यह लगातार बढ़ रही है। कम विकास पथ से महिलाओं के लिए सामाजिक गति के लिए एक मंच निर्धारित किया गया है, जो उच्च स्तर के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास को प्राप्त कर रहा है। महिला उद्यमी अब सब्सिडी / रियायतों पर निर्भरता की स्थिति से वे एक खुली और प्रतिस्पर्धी आधुनिक अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रही हैं। महिलाएं अब अपने अस्तित्व, भूमिका और अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक हैं। महिला उद्यमी वे हैं जो आर्थिक भागीदारी और योगदान के नए रास्ते तलाशती हैं।

Keywords: *अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी*

Article Publication

Published Online: 15-Apr-2021

***Author's Correspondence**

डॉ0वीना उपाध्याय

असि0प्रोफेसर–अर्थशास्त्र विभाग करामत हुसैन महिला पी0जी0 कालेज लखनऊ

✉ veenaupadhyay1712[at]gmail.com

© 2021The Authors. Published by *Research Review Journals*

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

परिचय

आज विश्व के सभी देशों के द्वारा महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक प्रमुख घटक के रुप में स्वीकार किया गया है। महिला उद्यमी अपने कुशल प्रबंधन, संगठन के माध्यम से स्वयं के साथ–साथ दूसरो के लिये भी रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती है। महिला उद्यमिता के माध्यम से परिवार एवं समुदाय के आर्थिक उन्नयन, गरीबी निवारण एवं महिला सशक्तिकरण को एक मजबूत आधार मिल सकता है। इसलिए विश्व भर में सरकारों, विभिन्न विकासात्मक संगठनों ने सक्रिय रुप से विभिन्न योजनाओं, प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रमों एवं प्रचार उपायों के माध्यम से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

कभी यह मान्यता थी कि उद्यमी जन्म से उत्पन्न होते हैं, परन्तु यह मान्यता अब पुरानी पड़ चुकी है। आज साधारण व्यक्ति को भी समुचित प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देकर उद्यमी बनाया जा सकता है। अतः देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक प्रयास प्रारंभ किये है। आर्थिक विकास में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1954 से ही महिला विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी, किन्तु पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974–78 से महिला

विकास की दिशा में गति प्रारम्भ हो सकी। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति द्वारा विभिन्न उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं समर्थन सेवाओं के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक प्रयास प्रारम्भ किये तथा बड़ी संख्या में प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रमों की शुरुआत की।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही महिलाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से कई कानून, विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू किया गया है। महिलाओं के विकास के संदर्भ में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं प्रयासों में समय–समय पर कई परिवर्तन हुए हैं। सत्तर के दशक में "महिलाओं के कल्याण", अस्सी के दशक में "महिला विकास" एवं नब्बे के दशक में "महिलासशक्तिकरण" पर विशेष जोर दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन् 1953 में महिला विकास हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई तथा क्रमशः अगली योजनाओं में महिलाओं के कल्याण, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति विषय पर रिपोर्ट संसद में पेश की गई साथ ही वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980–85) में महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी दृष्टिकोण में परिवर्तन कर महिलाओं के विकास संबंधी योजनाओं को लागू किया गया। इस योजना के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार इन तीन घटकों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में विकासात्मक प्रक्रियाओं को जारी रखते हुए महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार के साथ–साथ इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अंतर्गत विकास में महिलाओं की भागीदारी हेतु एक विशेष अध्याय सम्मिलित किया गया जिनमें निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये –

1. देश के समस्त प्रमुख विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को एक विशेष लक्ष्य समूह के रुप में शामिल किया जाए।
2. महिलाओं को उनकी बदलती हुई जरुरतों एवं कौशल के अनुरुप व्यावसायिक प्रशिक्ष ा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
3. उपयुक्त प्रौद्योगिकी व उपकरणों द्वारा उनकी कार्यकुशलता व उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया जाए।
4. महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विप ान के लिये आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।
5. निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को समान रुप से भागीदार बनाया जाए।

नई औद्योगिक नीति 1991 में महिलाओं हेतु विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया एवं ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के साथ–साथ महिला उद्यमियों के विकास केलिए कई कार्यक्रम संचालित किये गये। उद्यमिता विकास हेतु अहमदाबाद में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–997) में मानव संसाधन विकास के संदर्भ में महिला विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। इस योजना में इस बात पर बल दिया गया कि महिलाएं विकास की प्रक्रिया में समान रुप से भागीदार बने। कई कार्यक्रमों में विशेष रुप से महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने सम्बन्धी घटक शामिल किय गये। गरीब व सम्पत्तिविहीन महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। उद्यमिता के विकास हेतु आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनावश्यक नियंत्रणों को कम किया गया।

नौंवी पंचवर्षीय योजनाकाल (1997–2002) में योजना के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए महिला सशक्तिकरण को नौ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक

अधिकारों, मौलिक कर्त्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिंग समानता निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है वरन् राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए अधिकार भी देता है। महिला संघटक योजना में केन्द्र व राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में कम से कम 30 प्रतिशत निधियां/लाभ सुनिश्चित किये जाएं।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में घोषित करने के पश्चात् महिलाओं के विकास एवं उत्थान हेतु अनेक योजनाएं जारी की गई, जिसके फलस्वरुप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, राजनैतिक क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ा है तथा महिला शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई है।

स्वरोजगार एवं उद्यमिता बेरोजगारी की विकट समस्या का एक व्यवहारिक उपाय है। अतः भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक स्वरोजगार कार्यक्रमों को ही उद्यमिता के पर्याप्त के रुप में लागू किया गया जिनमें से कुछ कार्यक्रम सामान्य एवं कुछ कार्यक्रम विशेष रुप से महिलाओं के लिए लागू किये गये। सन् 1979 में ग्रामीण महिलाओं में कौशल व ज्ञान का विकास कर उनकी आय में वृद्धि करने हेतु "स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम" कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1987 में 450 मिलियन रुपये व्यय किये गये एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप भावी रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई।स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे संशोधित कर ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास(ड्वाकरा) में सम्मिलित कर दिया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) एवं स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) योजनाएं अप्रैल 1999 को लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु लागू इस योजनांतर्गत 40 प्रतिशत सहायता महिलाओं हेतु आरक्षित की गई। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम(आरएलइजीपी) को अगस्त सन् 1983 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे आय एवं रोजगार मूलक सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाएं, सहायता जागरुकता व वैधानिक सहयोग की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता प्रदान की जाती है।सन् 1996 से इस योजना के पृथक कर इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रुप से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को मकान का आबंटन, महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है।

सन् 1998 में भारत सरकार द्वारा "व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास" (ट्रेड) योजना लागू की गई, योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना तथा उनमें क्षमता व कौशल का निर्माण कर व्यापार में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। इस योजना को सन् 2004में संशोधित कर पुनः लागू किया गया, जिसमें निम्नलिखित मुख्य तीन घटक शामिल किये गये हैं –

1. महिलाओं में उद्यमिता विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रुप में दी जाती है, शेष 70 प्रतिशत राशि ऋणदाता संस्था द्वारा ऋण के रुप में प्रदान की जाती है।
2. महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों व गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रुप में दी जाती है।
3. क्षेत्रीय सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण माड्यूल का डिजाईन तैयार करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता संस्थानों व अन्य प्रमुख उद्यमिता विकास संस्थानों को अनुदान के रुप में पांच लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना में वर्ष 2008–09के दौरान 3418 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 66.05 लाख

रुपये का अनुदान दिया गया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सन् 2001,जिसे संशोधित करकेसन 2007में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रारंम्भ की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (एन.ई.जी.पी.) को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सन् 2008 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन खादी व ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं बैंक द्वारा किया जाता है। इस योजना में शहरी महिलाओं को मार्जिन मनी के रुप में पूंजीगत अनुदान की राशि 25प्रतिशत(सामान्य के लिए 15 प्रतिशत) की दर पर प्रदान की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अनुदान की राशि 35 प्रतिशत(सामान्य के लिए 25 प्रतिशत) की दर पर प्रदान की जाती है। महिला ऋणी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत (सामान्य के लिए 10 प्रतिशत) है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उ0प्र0 के ग्रामीण परिवार एवं महिला उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय वर्ष में प्रदत्त रोजगार–

II Progress	FY 2021-2022	FY 2020-2021	FY 2019-2020	FY 2018-2019	FY 2017-2018
Approved Labour Budget[In Lakhs]	2600	4000	2500	2000	1800
Persondays Generated so far[In Lakhs]	63.64	3948.56	2444.3	2121.25	1815.1
% of Total LB	2.45	98.71	97.77	106.06	100.84
SC persondays % as of total persondays	33.29	31.19	30.43	31.42	34.07
ST persondays % as of total persondays	1.62	0.99	0.95	0.95	0.95
Women Persondays out of Total (%)	44.48	33.59	34.28	35.28	35.11
Average days of employment provided per Household	14.18	41.81	46	42.05	37.35
Average Wage rate per day per person(Rs.)	203.7	200.87	181.79	174.96	174.95
Total No of HHs completed	0	7,81,670	1,33,059	71,992	42,517
Total Households Worked[In Lakhs]	4.49	94.43	53.14	50.45	48.6
Total Individuals Worked[In Lakhs]	5.26	116.64	64.54	61.51	60.4
Differently abled persons worked	854	18267	10710	11014	11348

स्रोत; Govt. of India Ministry of Rural Development

महिला उद्यमिता तथा ग्रामीण विकास और रोजगार की दृष्टि से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बहुत लाभदायक प्रतीत हाती हे। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक कार्य की मांग किए जाने पर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार दिए जाने का प्रावधान है।
2. योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित है।
3. ग्रामीण परिवारों को पंजीयन एवं रोजगार कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।
4. कार्य के दौरान मृत्यु होने पर रू. 25000 अंतरिम राहत के भुगतान का प्रावधान है।
5. पारदर्शिता हेतु मजदूरी भुगतान बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से किया जा रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवार को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। उ0प्र राज्य में विगत वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में रोजगार प्राप्त कंरने वालों का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तंहत जाब कार्ड धारकों की संख्या

Total No. of Districts	75
Total No. of Blocks	826
Total No. of GPs	58,896
Job Card	No. Of Job Card
Total No. of JobCards issued[In Lakhs]	217.75
Total No. of Workers[In Lakhs]	307.06
Total No. of Active Job Cards[In Lakhs]	113.68
Total No. of Active Workers[In Lakhs]	143.72
(i)SC worker against active workers[%]	31.47
(ii)ST worker against active workers[%]	1.07
Total No. of JobCards issued[In Lakhs]	217.75

स्रोत; Govt. of India Ministry of Rural Development

वर्तमान में भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं अलग–अलग विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा संचालित की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
3. ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण
4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
5. उद्यमिता विकास कार्यक्रम
6. प्रबंधन विकास कार्यक्रम
7. महिला विकास निगम
8. महिलाओं के लिये गैर कृषि उत्पाद का विपणन
9. गैर कृषि विकास योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं को सहायता
10. व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता एवं विकास
11. कार्यशील महिला मंच
12. इंदिरा महिला योजना
13. इंदिरा महिला केन्द्र
14. महिला समिति योजना
15. महिला विकास निधि
16. सूक्ष्म साख योजना
17. राष्ट्रीय महिला कोष
18. महिला उद्यम निधि तथा महिला विकास निधि
19. स्त्री शक्ति योजना – भारतीय स्टेट बैंक
20. गैर सरकारी संगठन साख योजना
21. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, कलस्टर
22. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं
23. राजीव गांधी महिला विकास परियोजना
24. प्रियदर्शिनी परियोजना
25. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना
26. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है.
27. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना .

28. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना .
29. फ्री सिलाई मशीन योजना .
30. महिला शक्ति केंद्र योजना .
31. सुकन्या समृद्धि योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उ0प्र0में महिला उद्यमी वित्तीय वर्ष 2021–22

Work Category	Worker Employed		Worker Employed		Worker Employed		Worker Employed	
	Women	**Men**	**Women**	**Men**	**Women**	**Men**	**Women**	**Men**
Rural Connectivity	**3873**	**8283**	**0.36966**	**0.79509**	**75.27978**	**161.98764**	**146.48347**	**334.42169**
Water Conservation And Water Harversting	**28945**	**45569**	**3.1563**	**5.06214**	**642.18226**	**1030.70481**	**254.18527**	**432.24426**
Renovation of Traditional Water Bodies	**5413**	**9115**	**0.55065**	**0.91841**	**112.06795**	**187.14768**	**70.35309**	**120.14428**
Flood Control	**11196**	**21773**	**1.31042**	**2.43276**	**266.98995**	**495.6181**	**135.94496**	**262.70494**
Drought Proofing	**939**	**1761**	**0.10698**	**0.16695**	**21.63705**	**33.85032**	**24.88782**	**43.6359**
Irrigation Canals	**7518**	**13567**	**0.78366**	**1.38976**	**159.57568**	**283.17707**	**120.95095**	**257.56677**
Irrigation Facilities To SC/ST/IAY/LR	**137595**	**133773**	**18.41729**	**17.56155**	**3752.25997**	**3577.80962**	**697.89717**	**705.41456**
Land development	**28553**	**55729**	**3.21582**	**5.9609**	**655.20913**	**1214.15903**	**409.47719**	**796.45392**
Coastal Areas	**0**	**4**	**0**	**0.0002**	**0**	**0.0408**	**0**	**0.00402**
Rural Sanitation	**695**	**2555**	**0.06327**	**0.22075**	**12.88089**	**44.95056**	**18.8425**	**55.40292**
Other works	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Grand Total	**224727**	**292129**	**27.97405**	**34.50851**	**5698.08265**	**7029.44563**	**1879.02242**	**3007.99326**

निष्कर्ष:

1. वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ, कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव और महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिये बहु–पक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिये।
2. सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिये लक्षित योजनाओं (प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि) के साथ अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा।
3. कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये यातायात साधनों की पहुँच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मज़बूत करना बहुत ही आवश्यक है।
4. उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षणों में शामिल होने के लिये महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही नीति निर्माण और महत्त्वपूर्ण संसाधनों के शीर्ष तंत्र में महिला प्रतिनिधित्त्व को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 आशुरानी, महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर,
2. वार्षिक रिपोर्ट 20018–19 उद्योग,
3. नए राज्य की नई नीतियां, उ0प्र जनसंपर्क विभाग, औद्योगिक नीति, 2019.

4. वाणिज्य उद्योग एवं सार्वजानिक उपक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनउ।
5. राय, अजित रू इकॉनामिक्स एण्ड पॉलटिक्स आफ गरीबी हटाओ, कलकत्ता, 1973,उपाध्याय, दीनदयाल
6. भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 1998
7. अरोड़ा, सतीश, के0 रू सोशल बैक ग्राउण्ड आफ दी इण्डियन कैबिनेट, इकॉनामिक एण्ड पोलीटिकल वीकली, अगस्त, 2005
8. अरोड़ा, आर0 सी0 रू इण्डस्ट्री एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, एस0 चांद एण्ड सन्स, दिल्ली, 1978
9. अरोड़ा, आर0 सी0 रू इण्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट, एस0 चांद एण्ड सन्स, दिल्ली, 1979
10. ओझा, पी0 डी0 रू ए कान्फीगरेशन आफ इण्डियाज पावर्टी इन इक्वेलिटी एण्ड लेवेल्स आफ लिविंग
11. अवस्थी, एस0 के0 रू इकॉनामिक डेवलपमेंट एण्ड प्लानिंग इन रिस्ट्रास्पेक्ट, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
12. अजीज, अब्दुल रू दी रूरल पुअर : प्राब्लम्स एण्ड प्रासपैक्ट्स, नई दिल्ली, 1983
13. Padmavati, D., Training Women for Entrepreneurship. Soc. Welfare, 49(2):
14. UNDP Women Entrepreneurship Report,First International Conference, Pristina, 2010 -